

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील
चंदेरी चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.- 357 / 14

संस्थित दिनांक- 24.06.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. शाहिद अली पुत्र बाबू अली मुसलमान उम्र 30 साल
2. बिलकिश पत्नि बाबू अली मुसलमान उम्र 53 साल
निवासी मेघासन मोहल्ला वार्ड क्रमांक 11 तहसील चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 30.06.2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 498 (ए) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2008 के मई के महिने के बाद से दिनांक 31.03.2014 तक फरियादी अफसाना बेगम के पति अथवा पति के नाते दार होते हुये, फरियादी से दहेज में फ्रिज, कूलर, पलंग व पेटी की मांग करते हुये उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ क्रूरता कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी की शादी शाहिद अली निवासी चंदेरी से माह मई 2008 में मुसलिम रीति रिवाज से इस्तमा में हुयी थी, दहेज का सामान इस्तमा से मिला था तथा फरियादी के पिता ने हैसियत के अनुसार दहेज में सोने चांदी का जेवर कपडा पीतल के बर्तन दिये थे, फरियादी अपनी सुसुराल में शादी से मई के कुछ दिन अच्छे से रही फिर बिलकिश बेगम व शाहिद अली दहेज में फ्रिज, कूलर, पलंग पटी नही मिलने पर फरियादी से कहने लगे कि अपने पापा से दहेज में कम सामान दिया है और तरह तरह से प्रताडित करने लगे। फरियादी ने अपने मायके में कम दहेज व परेशान करने वाली बात बतायी, फरियादी ने अम्मी शकीला भाई इरसाद को इस बारे में बताया था, तब सभी ने फरियादी को समझा कर कहा कि हम बात कर लेगे, अब परेशान नही करेगे, उसके बाद फरियादी कई बार ससुराल आयी हर बार दहेज की मांग करके परेशान करने लगे। उसके बाद भी अभियुक्तगण नही माने तो फरियादी के भाई द्वारा थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करायी, उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-145/14 अंतर्गत धारा 498(ए) भा0द0वि0 के

तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03- अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि प्रकरण के विचारण के दौरान दिनांक 30.06.17 को फरियादी अफसाना के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0सं0 का प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध की धारा 498 ए शमनीय प्रकृति की न होने के कारण प्रस्तुत आवेदनों को निरस्त कर उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 31.03.2014 तक फरियादी अफसाना बेगम के पति अथवा पति के नाते दार होते हुये, फरियादी से दहेज में फ्रिज, कूलर, पलंग व पेटी की मांग करते हुये उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ क्रूरता कारित की ?
2.	दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

06- प्रकरण में हुये राजीनामे एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये प्रकरण फरियादी अफसाना (अ0सा0-1) सहित उसकी मां शकीला (अ0सा0-2) के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी अफसाना (अ0सा0-1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि उसकी अभियुक्त शाहिद से शादी उसकी शादी माह मई 2008 में हुई थी। इस साक्षी के अनुसार शादी के बाद से ही उसकी पति शाहिद से नहीं बनी। अफसाना (अ0सा0-1) के अनुसार मामूली घरेलू बातों पर पति से विवाद होता था जिसके बाद वह विवाद ज्यादा बढ़ने पर अपने मायके आकर रहने लगी और चूंकि उसका पति उसे लेने नहीं आ रहा था, तो उसके भाई ने थाने पर शिकायत की।

07- फरियादी अफसाना (अ0सा0-1) के अनुसार थाने पर उसने शिकायत ने करके उसके भाई ने शिकायत की थी तथा शिकायत भी इस बात की थी कि उसका पति उसे मायके से लेने नहीं आ रहा है। फरियादी का अपने मुख्य परीक्षण में कही भी यह कहना नहीं है कि उसका पति व सास उससे दहेज की मांग करते थे या दहेज की मांग अथवा कम दहेज मिलने के कारण उसे प्रताडित करते थे। फरियादी अफसाना (अ0सा0-1) अपने न्यायालीन कथनों में प्र0पी 1 की रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार करती है परन्तु इस साक्षी का कहना है कि रिपोर्ट में क्या लिखा उसे जानकारी नहीं है तथा उसने अपने भाई के कहने पर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये थे।

- 08- शकीला (अ0सा0-2) जो कि फरियादी की मां हैं, ने अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि उनकी लडकी अफसाना (अ0सा0-1) का दामाद शाहिद से झगडा होने के कारण वह अफसाना मायके में आकर रहने लगी और जब उनकी लडकी को कोई लेने नहीं आया, तो इसकी शिकायत थाने पर उसके लडके ने की थी। फरियादी अफसाना (अ0सा0-1) व शकीला (अ0सा0-2) का एक मत होकर यह कहना है कि फरियादी अफसाना का उसके पति शाहिद से विवाद होने के कारण वह मायके आकर रहने लगी थी, जब उसे कोई लेने नहीं आया तो थाने पर प्र0पी0 1 की रिपोर्ट लेख करायी गयी थी।
- 09- अतः फरियादी अफसाना (अ0सा0-1) सहित उसके मां के कथन अनुसार फरियादी का अभियुक्त शाहिद से मात्र विवाद होता था जो कि दहेज की मांग को लेकर न होकर घरेलू बातों पर होता था और थाने पर भी दर्ज करायी गयी प्र0पी0 1 की रिपोर्ट इन साक्षियों के अनुसार दहेज की मांग को लेकर फरियादी को प्रताडित किये जाने के संबंध में नहीं की गयी बल्कि जब ससुराल पक्ष फरियादी अफसाना को मायके से लेने नहीं आ रहा था तो इस बात की रिपोर्ट थाने पर की गयी थी। फरियादी अफसाना (अ0सा0-1) के द्वारा न्यायालय में दिये कथनों का समर्थन उसकी मां ने अपने न्यायालीन कथनों में किया है, परन्तु इन साक्षियों के कथन अभियोजन घटना के विपरीत हैं। प्र0पी0 1 की रिपोर्ट में लेख घटना फरियादी के न्यायालय में दिये गये कथनों से मेल नहीं खाती है जिससे फरियादी के कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 से नहीं होती है।
- 10- फरियादी अफसाना (अ0सा0-1) प्रकरण में मुख्य साक्षी है तथा अभियोजन के अनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध अफसाना (अ0सा0-1) ने ही प्र0पी0 1 की रिपोर्ट पुलिस थाना चंदेरी में की हैं, जिसके उपर से अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। परन्तु फरियादी अफसाना (अ0सा0-1) अपने मुख्यपरीक्षण में ही यह कहती है कि प्र0पी0 1 की रिपोर्ट पर उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे, रिपोर्ट में क्या लिखा है इसकी उसे जानकारी नहीं है। फरियादी अफसाना (अ0सा0-1) अपने मुख्य परीक्षण में अपने पति घरेलू बातों पर विवाद होना बताती है। इस साक्षी का कही भी यह कहना नहीं है कि उसके पति शाहिद या उसकी मां ने उसे दहेज की मांग के लिये किसी भी प्रकार से प्रताडित किया या उसके साथ मारपीट की थी।
- 11- फरियादी अफसाना (अ0सा0-1) सहित शकीला (अ0सा0-2) के द्वारा मुख्यपरीक्षण अभियोजन का समर्थन न करने के कारण एवं अभियोजन घटना के विरुद्ध न्यायालय में कथन देने के कारण इन साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी कर उनका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया, परन्तु फरियादी सहित शकीला (अ0सा0-2) ने अभियोजन घटना का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया। फरियादी सहित सभी साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात का स्पष्ट खण्डन किया कि अभियुक्तगण ने शादी के बाद से कभी भी फरियादी को दहेज की मांग के लिये प्रताडित किया।
- 12- फरियादी अफसाना (अ0सा0-1) अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन कहानी के विरुद्ध ऐसी किसी भी घटना के घटित होने से इन्कार करती हैं जिसमें अभियुक्तगण ने उसे दहेज के लिये उसे प्रताडित कर दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की। यहां तक फरियादिया प्र0पी0 1 की रिपोर्ट में क्या लिखा है, इसकी जानकारी न होने

के साथ ऐसी कोई भी घटना पुलिस को लेख कराने से इन्कार करती है। अतः ऐसे में अभिलेख पर अभियुक्तगण के विरुद्ध इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्तगण ने शादी के बाद कभी भी फरियादी अफसाना को दहेज के रूप में फ़िज, कूलर, पलंग पेटी लाने के लिये प्रताड़ित किया या उसके साथ उक्त कारण से मारपीट की थी। फरियादी का स्वयं यह कहना है कि वह अपनी मर्जी से मायके में रह रही है। अतः अभिलेख पर जो साक्ष्य उपलब्ध है उसके अनुसार अभियुक्त और फरियादी के मध्य पति-पत्नी के बीच होने वाले वैचारिक मतभेद एवं घरेलू विवाद थे। अब देखा ये जाना है कि वास्तव में ऐसे विवाद भा0द0वि0 की धारा 498 (ए) के अपराध की श्रेणी में आते हैं अथवा नहीं।

- 13— यहां भा0दं0वि0 की धारा 498 (ए) का उल्लेख किया जाना उचित होगा। धारा 498“ए” के अनुसार—

जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, “क्रूरता” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है; या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिये प्रपीडित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

- 14— धारा 498 (ए) में उल्लेखित शब्द क्रूरता को स्पष्ट करने के लिये उक्त धारा के स्पष्टीकरण में दो खण्ड (क) तथा (ख) का उल्लेख किया गया है अतः ऐसे में धारा 498 (ए) के अपराध के लिये यह अभिनिर्धारित किया जाना है कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर क्रूरता खण्ड (क) के अधीन आती है या खण्ड (ख) के अधीन, या दोनों खण्डों की अधीन आती है। अभिलेख पर फरियादी सहित अन्य किसी भी साक्षी ने ऐसे कोई कथन नहीं दिये हैं जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी के साथ किया गया आचरण फरियादी अफसाना (अ0सा0—1) को आत्महत्या करने के लिये या जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा उत्पन्न करता हो।

- 15— पति-पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद एवं मामूली घरेलू विवाद वैवाहिक जीवन का एक भाग होता है अतः ऐसे मामूली विवाद 498 (ए) के स्पष्टीकरण के खण्ड क की श्रेणी में नहीं आते। जहां तक स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) का प्रश्न है तो स्वयं फरियादी सहित अन्य साक्षियों ने इस बात का खण्डन किया है कि अभियुक्त ने शादी के बाद अफसाना (अ0सा0—1) से कभी भी दहेज की कोई मांग की।

- 16- अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी अफसाना (अ0सा0-1) के साथ जानबूझकर ऐसा कोई आचरण किया जिससे फरियादी आत्महत्या करने के लिये प्रेरित हो या फरियादी के जीवन, अंग या मानसिक अथवा शारीरिक रूप से गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना थी। वहीं फरियादी सहित अभियोजन साक्षियों के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कथन देने से अभिलेख पर इस आशय की भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अभियुक्त ने फरियादी अफसाना (अ0सा0-1) को या उसकी मां को दहेज की कोई मांग पूरी करने के लिये प्रपीडित किया अथवा उक्त कारण से फरियादी को तंग किया कि फरियादी की मां एवं भाई ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।
- 17-परिणामस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ कि अभियुक्तगण अफसाना (अ0सा0-1) कि शादी के बाद से दिनांक 31.03.2014 तक फरियादी के पति अथवा पति के नाते दार होते हुये, फरियादी अफसाना (अ0सा0-1) से दहेज में फ्रिज, कूलर, पलंग व पेटी की मांग करते हुये उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ कूरता कारित की।
- 18- फलस्वरूप अभियुक्तगण शाहिद अली पुत्र बाबू अली, बिलकिश पत्नि बाबू अली के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 498 (ए) के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण शाहिद अली पुत्र बाबू अली, बिलकिश पत्नि बाबू अली को भा0दं0वि0 की धारा 498 (ए) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 17- अभियुक्तगण शाहिद अली पुत्र बाबू अली, बिलकिश पत्नि बाबू अली के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण का धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)